

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
SUB-REGISTRAR JODHPUR (THIRD)
JODHPUR
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2006005735 Dated : 14/07/2006
Presenter Name : BHERU SINGH Face Value : 90000
Presenter Address : JALELI FAUJDARA JODHPUR
Document Type : Sale Deed (Conveyance deed)
Claimant Name : VIRENDRA MATHUR , BHAGWATI COLONY SECTOR B HIGH COURT COLONY JODHPUR
Document S.No. : 2006005379 Stamp Value : 5000

Ordinary Registration Fee	: 920	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 980
Translation Fee us/s 62	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 2100

Amount Rs. Two Thousand One Hundred only

Cashier

Sub Registrar, JODHPUR (THIRD)

(Handwritten signature and stamp)

(Handwritten signature)
Secretary,
Kamla Nehru Shikshan Sansthan
High Court Colony, JODHPUR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

राजस्थान RAJASTHAN

031673



(फोटो विक्रेता)



(फोटो क्रेता)

श्री गणेशाय नमः

—: बेचाननामा :-

बेचाननामा का दस्तावेज एक लिख देता हूँ मैं भैरू सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह जी, उम्र-72 वर्ष, जाति-राजपूत, निवासी-जालेली फौजदारां, तहसील व जिला जोधपुर में रहने वाला (जिसे आगे इस बेचाननामा में प्रथम पक्षकार विक्रेता के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) ने,

ब ह क

कुमोदनी महिला शिक्षक, प्रशिक्षण महाविद्यालय जरिये निदेशक श्री विरेन्द्र माथुर पुत्र श्री ब्रदीनारायण माथुर, उम्र 29 वर्ष, जाति-माथुर, निवासी-भगवती कॉलोनी, सेक्टर -बी, हाईकोर्ट कॉलोनी रोड, जोधपुर में रहने वाला (जिसे आगे इस बेचाननामा में द्वितीय पक्षकार क्रेता के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) के हक में निम्न प्रकार तहरीर व तकमील कर देता हूँ कि :-

Virendra
Secretary,
Kamla Nehru Shikshan Sansthan
High Court Colony, JODHPUR

यह है कि मुझ प्रथम पक्षकार विक्रेता की कब्जा काश्त सुदा, खातेदारी की कृषि भूमि जिसके खेत खसरा संख्या 38 रकबा 0.15 बिस्वा व खसरा संख्या 46 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा दोनों खसरान का कुल रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, जमीन किस्म बारानी तृतीय, बाके ग्राम जालेली फौजदारा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डांगियावास, पटवार क्षेत्र जालेली फौजदारा, तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है।

यह है कि उक्त कृषि भूमि पर मुझ प्रथम पक्षकार विक्रेता का कब्जा काश्त होने से प्रथम पक्षकार विक्रेता का नाम राजस्व रेकॉर्ड में यानि चालू जमाबन्दी में संवत् 2060-2063 में जरिये खेवट खतौनी संख्या नई 100 व संख्या पुरानी 98 में बहैसियत खातेदार के दर्ज सुदा है। जिसके बाबत सम्बन्धित दस्तावेज मुझ प्रथम पक्षकार के ही नाम से बने हुये है, तथा मुझ प्रथम पक्षकार का ही बहैसियत मालिक के मालिकाना कब्जा वास्तविक, भौतिक व कानूनी तौर से चला आ रहा है, जिसमें किसी दूसरे सख्त, संस्था का कोई हिस्सा, कब्जा, दखल, अधिकार, उज, एतराज नहीं है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि को हर प्रकार से हस्तान्तरित करने का मुझ प्रथम पक्षकार विक्रेता को कानूनी अधिकार व स्वामित्व हासिल है।

यह है कि बेचान की जा रही उक्त वर्णित 04 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि बाके ग्राम जालेली फौजदारा के खसरा संख्या 38 व 46 रकबा जमीन किस्म बारानी तृतीय, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डांगियावास, पटवार क्षेत्र जालेली फौजदारा, तहसील व जिला जोधपुर में स्थित के पड़ौस व नाप की विगत निम्न प्रकार है :-

पड़ौस

उत्तर दिशा में	:-	श्री धुल सिंह की कृषि भूमि,
दक्षिण दिशा में	:-	30 फुट का रास्ता,
पूर्व दिशा में	:-	श्री रतन सिंह की कृषि भूमि,
दक्षिण दिशा में	:-	श्री सोहन सिंह की कृषि भूमि,
नाप	:-	04 बीघा 12 बिस्वा

Vivek Singh
Secretary,
Kamla Nehru Shiksha Sansthan
High Court Colony, JODHPUR

यह है कि मुझ प्रथम पक्षकार विक्रेता को मेरी निजी तथा पारिवारिक जरूरतों की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण आज दिन आप द्वितीय पक्षकार क्रेता को उक्त वर्णित 04 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि को बएवज रूपये 90,000/- (अक्षरे नब्बे हजार रूपये मात्र) में बेचना तय कर बेच दिया है, तथा बेचान प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि मुझ प्रथम पक्षकार ने आप द्वितीय पक्षकार से रोकड़ प्राप्त कर ली है। अब बेचान प्रतिफल पेटे किसी प्रकार की कोई राशि आप द्वितीय पक्षकार क्रेता में बकाया नहीं है तथा मौके पर आप द्वितीय पक्षकार क्रेता को बहैसियत मालिक के मालिकाना कब्जा, वास्तविक, भौतिक व कानूनी तौर से सौंप दिया है। आज से आप द्वितीय पक्षकार क्रेता उपरोक्त वर्णित जायदाद का अपनी इच्छा व आवश्यकतानुसार उपयोग व उपभोग कर सकोगे, जिसमें मुझ प्रथम पक्षकार विक्रेता व मेरी आल औलाद, वली वारिसान, उत्तराधिकारियों का कोई हक, हिस्सा, कब्जा, दखल, अधिकार, उज्र, एतराज नहीं रहेगा।

यह है कि मैं प्रथम पक्षकार विक्रेता आप द्वितीय पक्षकार क्रेता को पूर्ण यकीन व विश्वास दिलाता हूँ कि बेचान की जा रही उक्त वर्णित 04 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि को आज से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को बेचान, बेचान इकरार की हुई नहीं है, न ही किसी को वसीयत या बख्शीश की हुई न ही किसी के पास गिरवी, अडाणे, भोगलावे आदि रखी हुई है, न ही उक्त जायदाद के मुतलिक किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है, न ही किसी प्रकार का कोई ऋण उक्त कृषि भूमि के बाबत् लिया हुआ है, न ही कुर्की आदि में कुर्क सुदा है ना ही सरकारी अवाप्ति में अवाप्त की हुई है, न ही अवाप्ति की कोई कार्यवाही कहीं पर विचाराधीन है, यानि बेचान की जा रही उक्त वर्णित कृषि भूमि पाक, साफ एवं शुद्ध है।

यह है कि बेचान की जा रही उक्त वर्णित 04 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि के बाबत् मुझ प्रथम पक्षकार विक्रेता को जो भी मालिकाना हक, हकूक, राईट्स, टाईटल कानूनी तौर से प्राप्त थे, वह सभी आप द्वितीय पक्षकार क्रेता को इस बेचाननामा की रूह से हासिल होंगे, यदि कोई सख्स,

Vinendra Singh
Secretary,

Kamla Nehru Shikshan Sansthan
Nehru Colony, JODHPUR

संस्था भविष्य में इस बेचान को चैलेंज करेगा या मेरा टाईटल डिफेक्टिव हुआ तो उससे होने वाली समस्त क्षतिमय हर्जा-खर्चा को अदा करने की जिम्मेवारी मेरी स्वयं की होगी, जिससे मेरी आल औलाद, वली वारिसान भी पाबन्द रहेंगे।

यह है कि बेचान की जा रही उक्त वर्णित 04 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि के बाबत आज दिन पूर्व की किसी भी प्रकार की सरकारी व अर्द्धसरकारी राशि या किसी भी प्रकार का कर बकाया निकलेगा तो उसे अदा करने की जिम्मेवारी मुझ प्रथम पक्षकार विक्रेता की होगी तथा आज के बाद की आप क्रेता की होगी।

यह है कि बेचान की जा रही उक्त वर्णित 04 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि के बाबत मेरे पास निम्न लिखित दस्तावेज है :-

- जमाबन्दी की फोटो प्रति,
- नक्शा की फोटो प्रति,

तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज है, जो आप क्रेता को सौंप दिये गये है, इनके अलावा मुझ प्रथम पक्षकार विक्रेता के पास किसी प्रकार के कोई दस्तावेजात् नहीं है, अगर भविष्य में मिलेंगे तो आपको सौंप दिये जायेंगे, वरना वे दस्तावेजात् आपके खिलाफ रद्द व बेअसर समझे जावेंगे।

यह है कि बेचान की जा रही उक्त वर्णित 04 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि के बाबत भविष्य में जब कभी भी मुझ प्रथम पक्षकार विक्रेता के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी तो मैं सहर्ष हस्ताक्षर करने के लिए उपस्थित रहूंगा तथा आप द्वितीय पक्षकार अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा सकेंगे इसमें प्रथम पक्षकार को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी तथा आप द्वितीय पक्षकार अपने नाम से भविष्य में आवासीय पट्टा विलेख प्राप्त कर सकेंगे व बिजली पानी की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

यह है कि बेचान की जा रही उक्त वर्णित 04 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि के बाबत स्टाम्प रजिस्ट्री इत्यादि का खर्चा जिम्मे आप द्वितीय पक्षकार क्रेता का होने से स्टाम्प आप क्रेता के नाम से खरीद किये गये है।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Secretary,
Kamla Nehru Shikshan Sansthan
High Court Colony, JODHPUR

यह है कि बेचान की जा रही उक्त वर्णित 04 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि जोधापुर के मुख्य रेलवे स्टेशन व केन्द्रीय बिन्दु से लगभग 12-13 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव है, तथा मुख्य सड़क से अन्दर की तरफ है, ^{जोधापुर सावन} इसलिए इसकी कीमत उपरोक्तानुसार उचित है। जिसके नियमानुसार स्टाम्प मुद्रांक शुल्क प्रस्तुत है।

लिहाजा यह बेचाननामा मुझ प्रथम पक्षकार विक्रेता ने अपनी राजी-खुशी, अकल-होशियारी, बिना किसी नशे-पत्ते, बिना किसी डर-दबाव के, बिना किसी बहकावे के, सोच-समझ कर पढ़कर-सुनकर रुबरु गवाहान के आप द्वितीय पक्षकार क्रेता के हक में निष्पादित कर दिया है, जो सही है, व सनद रहे, वक्त जरूरत के काम आवे।

इति दिनांक :- 14.7.86

Virendra Singh



निष्पादनकर्ता
निष्पादनकर्ता

साख-1 श्री जयप्रसन्न सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
पत्नी राधा देवी निवासी जाले की मोहनदास
नगर जिला जयपुर

जयप्रसन्न




साख-2 श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री भीम सिंह पत्नी
निवासी - जाले की मोहनदास नगर

Virendra Singh
Secretary,
Kamla Nehru Shikshan Sansthan
High Court Colony, JODHPUR

सुखदेव

N
4
S

नरेश्वर वार कोला कॉलेज
है कोलापुर
पैसा नं. डी 281173



कोलापुर कोलापुर कॉलेज

P3541529
13.7.06

13/7/06
1144

Vinodraj
Secretary,
Komla Nehru Shikshan Sansthan
High Court Colony, JABHPUR